

डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक जी का हिंदी साहित्य में योगदान

¹श्रीमती लक्ष्मी देवी

²डॉ० विक्रांत शर्मा

¹शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, पी० के० विश्वविद्यालय शिवपुरी म०प्र०।

²विभागाध्यक्ष कला संकाय – हिन्दी विभाग, पी० के० विश्वविद्यालय शिवपुरी म०प्र०।

Received: 20 Jan 2024, Accepted: 28 Jan 2024, Published with Peer Reviewed on line: 31 Jan 2024

Abstract

किसी भी साहित्यिक कृति को समझने के लिए साहित्यकार की व्यक्तिगत यात्रा एवं उनके विचारों को समझना आवश्यक है। यहाँ में आपको एक ऐसे शक्स से रू-ब-रू कराना चाहती हूँ, जिन्होंने मॉ भारती के भण्डार को भरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और निरन्तर वह साथनारत हैं। जी हॉ मैं बात कर रहीं हूँ देवभूमि उत्तराखण्ड की जहाँ के सपूत डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक जी की जो केन्द्रीय षिक्षा मंत्री ही नहीं बल्कि उत्तराखण्ड के 5 वें मुख्यमंत्री भी रहे। इन्होंने साधारण कार्यकर्ता से लेकर विधायक, सांसद, व मुख्यमंत्री तक का सफर तय करके उन्होंने अपनी प्रतिभा से सबको परिचित करा दिया। निशंक जी को एक उपन्यासकार, एक कवि व लेखक के रूप में जानने समझने के लिए उनका साहित्य ही दर्पण है। क्योंकि एक उपन्यासकार का व्यक्तित्व किसी न किसी रूप में अपने जीवन और समाज से प्रभावित व प्रेरित करने वाला होता है। उन्होंने साहित्यिक जगत में अनेक प्रकार की विधाओं की रचना की है, चाहे उपन्यास हो, या कविताएं हो, कहानी आदि इन्होंने साहित्यिक जगत के लिए एक प्रेरणा का श्रोत बनाया। डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक जी ने अपने साहित्य में ग्रामीण एवं शहरी जीवन का उल्लेख किया, उनके जीवन की सहजता, सरलता, तत्परता और मानव मूल्यों के प्रति विकसित अवस्था उनके साहित्य में पल्लवित होती है। उनके उपन्यास जनमानस के लिए एक प्रेरणा का श्रोत बनकर सामने आया है।

शब्द कुंजी— भारतीय साहित्य, डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक, व्यक्तित्व, कृतित्व, हिंदी साहित्य में योगदान।

Introduction

डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक जी ने हिंदी साहित्य को अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। डॉ० निशंक जी का साहित्य अत्यंत विशाल है इन्होंने अपने साहित्य में ग्रामीण अंचल का बखूबी से वर्णन किया है। डॉ० निशंक जी 21 वीं सदी के साहित्यकारों में श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को 200 से अधिक रचनाओं को लिखकर अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है।

कवि का परिचय

डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक जी उत्तराखण्ड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पिनानी गांव में 15 अगस्त 1959 को एक गढ़वाली ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ और बचपन से अत्यंत निर्धनता के

बावजूद विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। जिससे वे गांव से पैदल चलकर 8वीं से बारहवीं की परीक्षा कठिन संघर्षों में पास की। कभी रास्तों में बाढ़ आई तो कभी रास्तों में भूखा बाघ खड़ा होने के बावजूद भूखे, प्यासे, सर्दी गर्मी बरसात की चिंता किए वगैर अपनी मंजिल पर बढ़ते रहे। डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कुसुम कांता पोखरियाल से शादी की जिनसे उनकी तीन बेटियाँ हैं उनकी पत्नी का 50 वर्ष की आयु में 11 नवंबर 2012 को देहरादून में निधन हो गया। श्रीनगर गढ़वाल से एम० ए० करने के बाद शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया। तो शीघ्र ही भाजपा से चुनाव लड़ने की इजाजत मिल गई। विजयी होकर राजनीतिक सफर शुरू करते—करते मंत्री मुख्यमंत्री केन्द्र सरकार में पहले शिक्षा मंत्री आदि उच्च पदों पर रहकर अपनी लेखनी को भी जारी रखे हुए है। हिंदी साहित्य का खजाना भी अपनी बहुमूल्य कृतियों से भरते रहे और चूंकि मैं भी हिन्दी साहित्य से सरोकार रखती हूँ तो मेरा भी यह नैतिक दायित्व है और छोटा सा प्रयास भी कि मैं आपको उनकी सभी साहित्यिक कृतियों से परिचित करा सकूँ।

डॉ० निशंक जी हिंदी साहित्य में मूर्धन्य स्थान रखते हैं। उनके द्वारा हिंदी साहित्य को न केवल वर्तमान बल्कि चिरकाल तक याद रखा जाएगा।

डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा हिंदी साहित्य में प्रवेश से न केवल हिंदी साहित्य की शोबा बड़ी बल्कि उनके द्वारा लिखित हिंदी साहित्य से पूरे विश्व में डॉ० निशंक जी एक वट वृक्ष की तरह हिंदी साहित्य के लिए खड़े हैं। डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में साहित्य की रचना की गई है। उनका साहित्य सृजन हिंदी साहित्य में उच्च कोटि का है।

डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा प्रस्तुत विधाओं में साहित्य सृजन किया गया है।

कहानी संग्रह— डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा कई छोटी—बड़ी कहानीयां लिखकर कई कहानी संग्रह तैयार किए हैं जिनके नाम और सत्र इस प्रकार हैं—

- 1— रोशनी की एक किरण 2008 में प्रकाशित।
- 2— बस एक ही इच्छा 2007।
- 3— क्या नहीं हो सकता 1993।
- 4— भीड़ साक्षी है 1993।
- 5— खड़े हुए प्रश्न 2007।
- 6— विषय जीवित है 2007।
- 7— मेरा संकलन 2008।
- 8— एक और कहानी 2008।
- 9— मील के पत्थर 2010।

- 10— दूटे दायरे 2010 ।
- 11— केदार नाथ आपदा की सच्ची कहानी 2014 ।
- 12— 21 श्रेष्ठ कहानियां 2014 ।

कविता संग्रह – डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक जी ने अपने काव्य संग्रह में अनेक कविताएं लिखकर अपनी सुकोमल हळदय का भी परिचय दिया है जो निम्नलिखित कविता संग्रह में संकलित है—

- 1—नवांकुर 1983 में प्रकाशित ।
- 2—मुझे विधाता बनना है 1984 ।
- 3—तुम भी मेरे साथ चलो 1986 ।
- 4—देश हम ना जलने देंगे ।
- 5—जीवन पथ में 1989 ।
- 6—मातृभूमि के लिए 1992 ।
- 7—कोई मुश्किल नहीं 2005 ।
- 8—प्रतिष्ठा 2006 ।
- 9—ऐ वेतन तेरे लिए 2007 ।
- 10—संघर्ष जारी है 2009 ।

उपन्यास साहित्य— डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक जी ने हिंदी साहित्य में भारतीय समाज और संस्कृति पर आधारित उपन्यास लिखकर एवं अलंकृत या शोभा बढ़ाई है।

डॉ० निशंक जी के उपन्यास निम्नलिखित हैं—

- 1— मेजर निराला 1997 वाणी प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित ।
- 2— निशांत 2008 में भावना प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित ।
- 3— वीरा 2008 में वाणी प्रकाशन से प्रकाशित ।
- 4— पहाड़ से ऊंचा 2008 में वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित ।
- 5— अपना—पराया 2010 में प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित ।
- 6— पल्लवी 2010 में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित ।
- 7— प्रतिज्ञा 2010 में प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित ।
- 8— कृतघ्न 2015 में प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली में प्रकाशित ।

- 9— भागोंवाली 2015 में प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली में प्रकाशित।
10— शिखरों के संघर्ष।
11— छूट गया पड़ाव 2016 में वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित।
12— जिंदगी रुकती नहीं 2022 में वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित।
डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा 12 उपन्यास लिखे गये हैं जो कि भारतीय संस्कृति की अनुपम झलक दिखलाती है।

यात्रा वृतांत- डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक जी ने विभिन्न प्रदेशों और देशों की यात्रा करके अलग-अलग यात्रा वृतांत लिखे हैं जिनमें से प्रमुख निम्न हैं—

- 1—एक दिन भूटान में।
2—खुशियों का देश भूटान।
3—चॉकलेट की वैशिक राजधानी बेल्जियम।
4—पूर्वी अफ्रीका का प्रवेश द्वार युगांडा।
5—भारतीय संस्कृति संवाहक इंडोनेशिया।
बाल साहित्य- डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा बाल कहानियां भी लिखी गई हैं जिसमें प्रमुख हैं—

1— आओं सीखें कहानी से।
वैचारिकी- डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा अपने स्वतंत्र विचारों को बी पुस्तकों में संकलित किया गया है जिनमें प्रमुख निम्न लिखित हैं—

- 1—पं० दीन दयाल उपाध्याय।
2—मानव के प्रणेता महर्षि अरविंद।

निबंध संग्रह— 1—मूल्य आधारित शिक्षा।

डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा उपरोक्त निबंध को बहुत अच्छी शैली में लिखा गया है।

डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा जीवनी भी लिखी गई है जो कि दृ

1—सपने जो सोने ना दे।

प्रमुख लेख- डॉ० निशंक जी द्वारा कुछ प्रमुख लेख भी लिखे गए हैं जिनमें प्रमुख निम्न हैं—

- 1—हिमालय का महाकुंभ नंदा राज जात यात्रा 2009।
2—स्पर्श गंगा ,2—उत्तराखण्ड की पवित्र नदियां।

3—सफलता के अचूक मंत्र 2010 हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित।

4—कर्म पर विश्वास करें भाग्य पर नहीं 2011।

इन रचनाओं के अलावा मेरी व्यथा का संपादन 1998 में किया।

धरती का स्वर्ग भाग 2।

नंदा गाडेस ऑफ हिमालया (हिमालय की नंदा राज—जात यात्रा का अंग्रेजी अनुवाद।

फिल्म लेखक के रूप में — डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक जी ने उत्तराखण्डी फिल्म मेजर निराला की पूरी कहानी लिखी है। जिसका प्रोमो रविवार को दिल्ली में रिलीज हुआ इस फिल्म का प्रोमो पूर्व थल सेनाध्यक्ष एंव विदेश राज्यमंत्री जनरल वी.के.सिंह (रिटा०) भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अभिनेता एंव लोकसभा सांसद मनोज तिवारी आदि उपस्थित थे। इस फिल्म की कहानी एक फौजी के अदम्य साहस की बीच मार्मिक हालातों लेकर आगे बढ़ती है। यह फिल्म हिमश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई गई है।

डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक जी का पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अहम योगदान रहा। देश भक्ति से प्रभावित उनकी कृतियों की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी थी। डॉ० निशंक जी महान विद्वान हैं जिन्होंने साहित्यिक, राजनैतिक, समाज सेवा और पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डॉ० निशंक जी सीमांत वार्ता के प्रधान संपादक भी हैं वे नई चेतना शोध संस्थान के संपादक व निर्देशक भी रहे। इन्होंने नई राह नई चेतना शोध पत्रिका का संपादन भी किया।

निष्कर्ष— डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक जी ने हिंदी साहित्य को अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। डॉ० निशंक जी का साहित्य अत्यंत विशाल है इन्होंने अपने साहित्य में ग्रामीण अंचल का बखूबी से वर्णन किया है। डॉ० निशंक जी 21 वीं सदी के साहित्यकारों में श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को 200 से अधिक रचनाओं को लिखकर अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। डॉ० निशंक जी की रचनाएं विश्व स्तर की होने का मुख्य कारण रचनाओं की पृष्ठभूमि ग्रामीण अंचल रही है। उन्होंने ग्रामीण अंचल को अपने साहित्य में जगह देकर न केवल हिंदी साहित्य को विश्व स्तरीय बनाया है बल्कि हिंदी साहित्य की श्रेष्ठता को विश्व स्तरीय बनाकर अपना बहुमूल्य योगदान दिया है।

सन्दर्भ सूची : —

1. रुद्रप्रयाग जिले के मणिगुह के पुस्तकालय से प्राप्त जानकारी।
2. इंटरनेट विकीपिडिया से प्राप्त जानकारी।
3. मॉडर्न दून लाइब्रेरी से प्राप्त जानकारी।

मानवाधिकार और घरेलु हिंसा

१लक्ष्मी देवी

२डॉ. विक्रान्त शर्मा

१शोधार्थिनी

थविभागाध्यक्ष, कला संकाय, हिन्दी विभाग, पी.के. यूनिवर्सिटी, करैरा, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।

Received: 31 August 2023, Accepted: 01 Sep 2023, Published with Peer Reviewed online: 03 Sep 2023

Abstract

मानव अधिकारों के प्रति सम्मान का विषय प्रत्येक प्रजातांत्रिक समाज के लिये सदैव अति महत्वपूर्ण रहा है। यह सार्वभौमिक रूप में स्वीकारा गया है कि मानव अधिकारों के प्रति सम्मान और उनके संरक्षण एवं प्रोन्नयन के लिए सद्भाविक प्रयास किए बिना कोई भी प्रजातंत्र न तो जीवित रह सकता है और न उसका अस्तित्व कायम रह सकता है। यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से मानव अधिकारों का पोषण और संवर्धन अनेक राजनैतिक प्रणालियों में हो सकता है तथापि इतिहास ने निष्चित रूप से यह साबित कर दिया है कि शक्तिप्राप्त व्यक्तियों की ओर से निर्णयन प्रक्रिया में यथा संभव अधिकतम पारदर्शिता के वातावरण में ही वे वस्तुतः प्रतिभूत रह सकते हैं।

बीज शब्द— मानवाधिकार, घरेलु हिंसा, महिला संरक्षण एवं मानवीय गरिमा।

Introduction

शासन प्राधिकारियों ने प्रति शासितों के अधिकारों को लिखित रूप देने का विचार सर्वप्रथम मैग्ना कार्टा जो 1215 का महान चार्टर है – मैं अभिव्यक्त हुआ है। इसी चार्टर में सर्वप्रथम विधि के शासन और मूल स्वतंत्रताओं की महत्ता प्रतिपादित की गई है, तत्पश्चात् अंग्रेजी अधिकार पत्र अमरीकी स्वतंत्रता की घोषणा, मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की फांसीसी घोषणा तथा अमरीकी अधिकार पत्र का सृजन हुआ। इसी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है सर्वत्र मानव अधिकारों के प्रोन्नयन और संरक्षण के लिये सन् 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अंगीकार भी एक अति महत्वपूर्ण बात थी तभी से यह आधार वाक्य कि मानव अधिकार आजैर मूल स्वतंत्रताएं सभी व्यक्तियों के जन्म-सिद्ध अधिकार हैं, अनेक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में स्वीकार और अभिव्यक्त किया गया है।

मानवाधिकार अर्थात् मानव का अधिकार इस अधिनियम का सम्पूर्ण नाम “मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993” है। इसका दायरा सम्पूर्ण भारत है। यह 28 दिसम्बर 1993 को प्रवृत्त हुआ।

मानवाधिकार ने जीवन स्वतंत्रता समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गये हैं या अंतराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्तुष्टि और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनी है।

सभी मनुष्य जन्म से ही गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र और समान हैं उन्हें बुद्धि और अतंश्चेतना प्रदान की गयी है। उन्हें परस्पर भातृत्व की भावना से कार्य करना चाहिये। प्रत्येक

व्यक्ति इस घोषणा में उपर्युक्त सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का हकदार है, इसमें मूल, वंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल संपत्ति, जन्म या अन्य प्रस्थिति के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जायेगा।

घोषणा में उल्लेखित मानवाधिकार निम्न हैं –

1. दासता या गुलामी में न रखे जाने का अधिकार
2. मनमाने ढंग से गिरफ्तार, निरुद्ध या निर्वासन के विरुद्ध अधिकार
3. अपने देष की लोक सेवा में समान सुरक्षा का अधिकार
4. मानव अधिकारों पर अभिसमय और प्रसंविदाएं
5. अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा ।

महत्वपूर्ण यह है कि इस आयोग के कृत्य क्या हैं और इसकी शक्तियाँ कहाँ तक हैं—

आयोग के कृत्य और शक्तियाँ – आयोग निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा।

1. स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसको प्रस्तुत की गई अर्जी पर –

- क) मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या दुश्प्रेण किए जाने पर
ख) ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोक सेवल द्वारा उपेक्षा की।

शिकायत के बारे में जाँच करना :

क) किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई अभिकथन अंतर्वलित है उस न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करना ।

ख) राज्य सरकार को सूचना देकर राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जल या किसी अन्य संस्था का जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं वहाँ के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए निरीक्षण करना और उन पर सिफारिश करना ।

ग) संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंति रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिये उपायों की सिफारिश करना ।

घ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसका संवर्धन करना ।

ड.) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, संचार विचार, माध्यमों, गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना ।

च) मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को उत्साहित करना ।

जॉच से संबंधित शक्तियाँ – आयोग को इस अधिनियम के अधीन विकायतों के बारे में जांच करते समय और विशिष्ट तथा निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियाँ होगी जो सिविल प्रक्रिया 1908 के अधीन किसी बाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात् –

क) साक्षियों का समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना ।

ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना ।

ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ।

घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना ।

ड.) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन निकालना ।

मानव अधिकारों के अतिक्रमण से उद्भूत होने वाले अपरोधों का शीघ्र विचारण एंव निवारण करने के लिये केन्द्र सरकार एंव राज्य सरकार ने मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना की है जो उक्त अपराधों का विचारण करने के लिये प्रत्येक जिले के किसी सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

घरेलू हिंसा : — घरेलू हिंसा सा डोमेस्टिक वॉयलेंस से तात्पर्य किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ दुर्व्यवहार से है जो घरेलू हिंसा जैसे विवाह के बाद में होती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि घरेलू हिंसा केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार का व्यवहार है जो पीड़ित पर सत्ता और नियंत्रण हासिल करने की कोशिश करता है। डोमेस्टिक वॉयलेंस हाल में आई एन.सी.आर.बी. की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में इजाफा हुआ। इसके अलावा भी घर में होने वाले उत्पीड़न के मामले अक्सर जानकारी के बिना पुलिस तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी होता है कि आखिर घरेलू हिंसा क्या है? इसका कानून क्या है? और क्या कोई घरेलू हिंसा हेल्पलाईन नंबर भी है? और घरेलू हिंसा के कितने प्रकार होते हैं? घर में होने वाली हिंसा को ही घरेलू हिंसा कहा जाता है किसी भी महिला का शारीरिक, मानसिक यहां तक उसकी भावनाओं के साथ भी खिलबाड़ करना या फिर उसके खिलाफ गंदे तरीके के शब्दों का इस्तेमान करना घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। घरेलू हिंसा के बारे में महिला संरक्षण की धारा 2005 में बताया गया है दरअसल ये कानून साल 2005 में आया था इसलिये इसमें 2005 जोड़ा गया है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है और यह मूल रूप से एक साथी पति या पत्नी या परिवार के अंतर्गत सदस्य के अधीन है। घरेलू हिंसा पर हम आगे इसके कारणों और प्रभावों के बारे में जानेंगे।

घरेलू हिंसा के प्रकार — घरेलू हिंसा के कई दुष्परिणाम होते हैं जो घरेलू हिंसा के प्रकार पर निर्भर करते हैं। यह शारीरिक रूप से भावनात्मक रूप और यौन शौषण के रूप से यहाँ तक कि आर्थिक रूप में भी होता है। एक शारीरिक शौषणकर्ता शारीरिक बल का प्रयोग करता है जो पीड़ित को घायल करता है या उनके जीवन को किसी भी तरिके से खतरे में डालता है। इसमें मारना पीटना,

धूंसा मारना, गला घोटना, थप्पड़ मारना आदि प्रकार की हिंसा शामिल है। इसके अलावा दुर्व्यवहार करने वाला पीड़ित को चिकित्सा देखभाल से भी इंकार करता है।

- **भावनात्मक शोषण** – इस प्रकार के शोषण में शोषणकर्ता व्यक्ति को भावनात्मक प्रकार का शोषणकर्ता है जैसे उसको धमकाना एंव किसी अन्य माध्यम से उसको डराना और उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना आता है। आलोचना भी भावनात्मक शोषण के रूप में गिना जाता है। उसके बाद यौन शोषण होता है जिसमें अपराधी अवांधित यौन गतिविधि के लिए बल प्रयोग करता है।
- **आर्थिक शोषण** – आर्थिक शोषण के तहत शोषणकर्ता किसी भी ऐसे व्यक्ति का शोषण करता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो या किसी शोषक ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु शोषणकर्ता से कुछ आर्थिक मदद ली हो तब शोषणकर्ता अपने अनुसार ब्याज आदि लगाकर व्यक्ति का आर्थिक शोषण करता है।
- **यौन शोषण** – किसी भी शोषणकर्ता द्वारा बलात यौन सम्बन्ध और हिंसक शारीरिक शोषण, अमानवीय कृत्य शामिल है एव इसके परिणाम स्वरूप शोषक मानसिक विक्षिप्त व मौत को भी प्राप्त हो सकता है।
- **हिंसा पीड़ित व्यक्ति** – वैसे तो घर-परिवार में कोई भी हिंसा से पीड़ित हो सकता है, माता-पिता, दादा-दादी, या फिर बच्चे या नौकर आदि परन्तु हिंसा का आसान निषाना बुजुर्ग बच्चे या फिर महिलायें होती हैं। घरेलु हिंसा एक भीषण अपराध है जो कई मौतों का कारण भी बनता है। पुरुष प्रधान समाज इस समस्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसके अलावा दहेज भी उन प्रमुख कारणों में से एक है जो नवविवाहित दुलहनों के खिलाफ हिंसा का परिणाम है। दुनिया के कई हिस्सों में महिलाओं पर, बुजुर्गों पर शारीरिक हमला करना और भद्रदे कमेंट करना आम बात है यह सब घरेलु हिंसा का ही भाग है।
- **वर्तमान परिदृष्टि में घरेलु हिंसा** – वर्तमान परिदृष्टि में हिंसा का रूप व्यापक हो गया है व्यक्ति अब अमानवीय कृत्य करने लगा है वो इंसान के साथ ही नहीं जानवरों के साथ भी बिना कारण ही हिंसा और दुराचार करने लगा है। वर्तमान में पुरुष वर्ग भी इससे अछूता नहीं रहा है अब महिलायें भी पुरुषों पर शारीरिक, मानसिक व आर्थिक हिंसा कर रहीं हैं जैसे— आप ज्योति मौर्य व आलोक का केस ही देख लिजिये इसके अलावा कई महिलायें ऐसी हैं जो अपनी जरा सी गलती से पुरुष वर्ग ही नहीं बच्चों व सास ससुर स्वरूप माता पिता सभी के लिये एक मानसिक प्रताड़ना दे जाती हैं। जिसको शब्दों में व्यान करना मुश्किल है।

निष्कर्ष: – ऐसे समय में एक आदर्श नागरिक की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, मैं वो नम्बर भी यहाँ प्रदर्शित करना अपना नैतिक दायित्व समझता हूँ वो नम्बर है 7827170170 इस नम्बर पर आप शिकायत कर सकती हैं इसके अलावा 1091 और 1291 नंबर पर भी महिलायें या कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि व चाहेगा तो उसका नाम और पता गोपनीय रखा जायेगा।

अधिकतर दुर्व्यवहार करने वाला या तो मानसिक विक्षिप्त होता है या उसे मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता होती है।

यदि हम सही मायनों में हिंसा से मुक्त भारत बनाना चाहते हैं तो वक्त आ चुका है कि हमें एक राष्ट्र के रूप में सामूहिक तौर पर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिये और एक अच्छा तरीका यह हो सकता है कि हम राष्ट्रव्यापी अनवरत तथा समृद्ध सामाजिक अभियान की शुरूआत करें।



Certificate



INTERNATIONAL CONFERENCE ON **GENDER BASED VIOLENCE AND HUMAN DIGNITY**

2nd-3rd Sep., 2023

Organized by : Department of Political Science
Government Girls P.G. College, Bindki, Fatehpur (U.P.)

This is to Certify that Dr./Mr./Mrs./Ms. Ms.Laxmi Devi

..... from
P.K. University Shivpuri (M.P.) has

Participated/Presented a Research Paper Entitled

Human rights and domestic Violence

the International Conference.

Prof. (Dr.) Avadhesh Kumar
Patron/Principal

Dr. Arvind Kumar Shukla
Convener/Organizing Secretary



International Journal of Advanced Research in Multidisciplinary Sciences

a Bi-Annual, open access, peer reviewed (Refereed) Journal

Certificate of Publication

This is to certify that Dr./Mr./Ms. - श्रीमती लक्ष्मी देवी, सोय अग्रा, हिन्दी विभाग, पी० के० विश्वविद्यालय शिवपुरी मण्डल। डॉ० विक्रांत शर्मा, विभागाध्यक्ष कला संकाय - हिन्दी विभाग, पी० के० विश्वविद्यालय शिवपुरी मण्डल। in recognition of Publication of the Paper entitled- डॉ० रमेश पोखरियाल निरांक जी का हिन्दी साहित्य में योगदान, Vol. 07, Issue 01, January 2024
Published in International Journal of Advanced Research in Multidisciplinary Sciences.



(Dr. Arvind Shukla)
Chief Editor